पं0सं0/जी0एस0टी0 अनु0/2023–24/ 2324028/723 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर,उ0प्र0।
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊ::::दिनांक 04 जनवरी, 2024

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उ0प्र0।

**विषयः– प्रदेश में अन्य राज्यों से किये जा रहे फेस विनियर के परिवहन एवं तत्संबंधी करापवंचन के विषय में।**

कृपया अवगत हों कि जी.एस.टी अधिनियम में विभिन्न श्रेणी के मालों के वर्गीकरण हेतु अंगीकृत की गयी कस्टम टैरिफ आधारित HSN व्यवस्था में विनियर को HSN 4408 के अधीन वर्गीकृत किया गया है। HSN4408 से आच्छादित प्रविष्टि निम्नवत है–

"Sheets of veneering (including those obtained by slicing laminated wood), for plywood or for similar laminated wood and other wood, sawn lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded, spliced or end jointed, of a thickness not exceeding 6mm."

विनियर की निम्नलिखित दो श्रेणियां प्रयोग में लायी जाती है–

1. **फेस विनियर–** यह विनियर की उच्चश्रेणी होती है तथा इसका मूल्य अधिक होता है। इसका निर्माण Birch,oak,maple आदि जैसी लकड़ियों से किया जाता है। यह कोर विनियर से काफी अधिक पतला होता है तथा इसकी मोटाई 0.25 mm से 0.3 mm तक होती है। इसके वाह्य तल पर भली– भांति पालिश की जाती है जिससे लकड़ी के रेशे स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसका प्रयोग प्रायः Plywood /veneer तथा Engineered wood के निर्माण के समय निर्मित उत्पाद के सबसे वाह्य तल के निर्माण में किया जाता है।

2. **कोर/फॉली विनियर–** यह विनियर की निम्न श्रेणी होती है तथा इसका मूल्य कम होता है। इसका निर्माण बबूल, यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि पेड़ों से किया जाता है, इसके अंदर नमी का प्रतिशत 14 से 20 प्रतिशत तक होता है तथा इसकी मोटाई 1.7mm से 2mm तक होती है। इसका प्रयोग प्रायः Plywood/veneer तथा Engineered wood के निर्माण के समय निर्मित उत्पाद के भीतरी हिस्से में Filler के रूप में किया जाता है।

फेस विनियर का निर्माण प्रमुखतः पश्चिम बंगाल, आसाम आदि राज्यों में किया जाता है तथा उत्तर प्रदेश राज्य में Plywood /veneer निर्माताओं द्वारा इन राज्यों से इसका आयात किया जाता है। चूकिं फेस विनियर स्वयं में एक Finished Product है तथा इसका प्रयोग निर्मित उत्पाद की वाह्य सतह पर किया जाता है अतः फेस विनियर की खपत से निर्मित उत्पाद अर्थात Plywood/veneer आदि के उत्पादन का ठीक–ठीक अंदाजा लगाया जा सकता है। सामान्यतया निर्मित उत्पाद का क्षेत्रफल फेस विनियर की खपत की गयी क्षेत्रफल का लगभग आधा होता है। चूंकि फेस विनियर की खपत से निर्मित उत्पाद की मात्रा का आंकलन किया जा सकता है अतः Plywood/veneer निर्माता इकाईयों में उत्पादित माल की वास्तविक मात्रा छिपाने के लिए फेस विनियर की खपत कम दिखाये जाने की प्रवृत्ति देखी गयी है।

फेस विनियर की खपत कम दिखाये जाने के क्रम में Plywood/veneer निर्माता इकाईयों द्वारा निम्न modus operandi के द्वारा कार्य किया जाता है।

a- अन्य प्रांत में स्थित फेस विनियर निर्माता द्वारा उत्पादित माल(फेस विनियर) केवल विनियर घोषित करते हुए हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों के लिए टैक्स इनवायस एवं ई–वे बिल जारी कर माल का परिवहन इन राज्यों कों घोषित किया जाता है।

b-उक्त प्रकार परिवहित किया जा रहा माल मार्ग में पड़ने वाली उ0प्र0 राज्य में कार्यरत Plywood /veneer निर्माता इकाईयों के यहां उतार दिया जाता है तथा उसी वाहन में समान मात्रा का कोर विनियर प्रपत्रों में निर्दिष्ट राज्यों को आगे भेज दिया जाता है।

c- निर्माता इकाईयों द्वारा फेस विनियर का आयात केवल विनियर शीर्षक के अन्तर्गत करते हुए उक्त का उपभोग किया जाता है तथा लेखा पुस्तकों में स्टॉक की समान मात्रा बनाये रखने के क्रम में कोर/फॉली विनियर की समान मात्रा की बिक्री अन्य राज्यों को कर दी जाती है।

d- उपरोक्तानुसार निर्मित अघोषित माल की बिक्री Undervaluation के माध्यम से माल का मूल्य रू0 50000 से कम घोषित करते हुए बिना ई–वे बिल के की जाती है।

उपरोक्तानुसार किये जा रहे करापवंचन को रोकने हेतु निम्नवत् निर्देश जारी किये जाते हैं–

1. सचल दल इकाईयों द्वारा विनियर के वाहन रोके जाने के पश्चात किये जाने वाले भौतिक सत्यापन में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि परिवहित किया जा रहा माल फेस विनियर की श्रेणी में आता है अथवा कोर विनियर की श्रेणी में आता है।

2. निर्माता इकाईयों की रिटर्न स्क्रूटनी तथा वि0अनु0शा0 जॉच किये जाते समय उनके द्वारा खरीदी गयी, उपभोग की गयी फेस विनियर की मात्रा के आलोक में निर्मित उत्पाद की मात्रा का सत्यापन कर लिया जाये।

3. Plywood /veneer के परिवहन के क्रम में रू0 50000 मूल्य से कम के इनवायस जारी करने वाली फर्मों की विस्तृत Data Analysis की जाये तथा संदिग्धता पाये जाने पर वि0अनु0शा0 जॉच की जाये इस प्रकार की जानेवाली जॉच के समय निर्मित उत्पाद में फेस विनियर की अनुमानित खपत एवं खरीद का विशेष ध्यान रखा जाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

4/1/24

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त, राज्य कर
उत्तर प्रदेश।